न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 15 / 20 वर्ष 2020

जीसीएम संख्या :–2020 / 00127

बउनवानीः– मदन सिंह पुत्र छीतर सिंह जादौन जाति राजपूत नि. शिवाड तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. प्रसन्नता देवी पत्नि बाबू रेगर निवासी वार्ड नम्बर 14 शिवाड तह0 चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत शिवाड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड

(निगरानी विरूद्ध पत्रावली संख्या 22 निर्णय दिनांक 21.10.2019 की पालना में जारी पटटा संख्या 82 दिनांक 21.12.2019 द्वारा ग्राम पंचायत शिवाड जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे — वकील प्रार्थी

2. श्री विजेन्द्र विजय वर्गीय, श्री कुंजबिहारी शर्मा — वकील अप्रार्थीगण

–ः निर्णय :– दिनांक 10.8.2023

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड की पत्रावली संख्या 22 मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 की पालना में जारी पटटा संख्या 82 दिनांक 21.12.2019 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव / पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम शिवाड के वार्ड नम्बर 13 में मदन सिंह का पुख्ता रिहायशी मकान है। उक्त मकान के पश्चिम दिशा मे त्रिलोंक चन्द शर्मा का पेतृक मकान है प्रार्थी व त्रिलोंक चन्द के मकान के बीच में सिसोरा रास्ता व प्रार्थी का चौक स्थित है इसी सिसोरे चौक व रास्ते में प्रार्थी के मकान के खडकी,दरवाजे, रोशनदान निकाले हुए है। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी व त्रिलोकचन्द के मध्य सिविल मुकदमा चल रहा है। जिसमे श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.2019 पत्रावली संख्या 17 / 2018 मे त्रिलोक चन्द व ग्राम पंचायत शिवाड को यथास्थिति रखने व विवादित भूमि का कोई पटटा आदि जारी नही करने के आदेश दिये गये थे उक्त प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड भी पक्षकार है किन्तु सरपंच ने कार्यकाल के अन्तिम दिनों मे त्रिलोक चन्द से साज कर विवादित भूमि का विपक्षी प्रसन्नता देवी की बताते हुए आम रास्ता व चौक की भूमि का भी पटटा संख्या 82 दिनांक 21.12.2019 को जारी किया गया है जो अवैधानिक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने बिना मौका देखे प्रार्थी के मकान को चरपेटा लगाकर विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 को दे दी जिससे मौके पर प्रार्थी के खिडकी,दरवाजे इत्यादि बन्द होने की स्थिति बन सकती है। कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त,2015(2)DNJ(raj)595 पेश किया [illegible] आचार संहिता के दौरान मतदान से कुछ ही दिन पूर्व तैयार किया गया है। न्यायालय [illegible] उक्त भूमि का मालिकाना हक त्रिलोकचन्द व मुझ प्रार्थी के बीच तय [illegible] दूर तक उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है इसलिए आदेश जैर खारिज योग्य है। यह [illegible] भी दिया कि आदेश [illegible] निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी 13.03.2020 को [illegible] कारी से अन्दर मयाद [illegible] है। अतः आदेश जैर निगरानी अपास्त फरमाया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा यह निगरानी झूठें तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त सम्पति मोत्या देवी पत्नि स्व0 दामोदर प्रसाद जाति ब्राहामण निवासी शिवाड से प्रसन्नता देवी उर्फ प्रसन्न ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2015 को क्रय किया है जिसको दिनांक 3.3.2016 को नोटरी पब्लिक श्री अशोक कुमार गोयल से नोटरी करवाकर नोटरी रजिस्टर के क्रमांक 227 के जरिये क्रय किया गया है। उक्त सम्पति पूर्व में मोत्या के पति दामोदर ब्राहामण के नाम जरिये निर्णय ग्राम पंचायत शिवाड दिनांक 28.12.1958 को प्राप्त हुई तथा दामोदर की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि मोत्या को विधिक उत्तराधिकारी के अनुसार प्राप्त हुई है। उक्त क्रय की गयी सम्पति के पूर्व दिशा में मदन सिंह जादौन का मकान बताया है तथा उक्त विक्रयनामा को आदिनांक तक मदन सिंह ने किसी भी न्यायालय मे चैलेन्ज नही किया है। यह तर्क भी दिया ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया को पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत कार्यवाही यथा प्रार्थीया कां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आपत्ति नोटिस जारी करना, मौका दिखवाकर मौका रिपोर्ट तैयार करवाना, पटटा शुल्क जमा करवाना इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रार्थीया के पक्ष मे पटटा जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज करते हुए आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि विवादित भूखण्ड को लेकर निगरानीकार एवं त्रिलोकचन्द मध्य सिविल न्यायालय मे प्रकरण संख्या 17/2018 उनवानी मदन सिंह बनाम त्रिलोकचन्द व ग्राम पंचायत शिवाड मे दिनांक 21.01.2019 को निर्णय पारित करते हुए उक्त विवादित खाली भूमि पर कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, न ही करावे, तथा अपीलार्थी–प्रार्थी के मकान के निकले हुए खिडकी, दरवाजे, रोशनदान को बन्द नही करे और प्रत्यर्थी–अप्रार्थी संख्या 3 अर्थात ग्राम पंचायत शिवाड को इस संबंध मे कोई पटटा अभिलेख अप्रार्थी–प्रत्यर्थी संख्या 1 त्रिलोक चन्द व 2 मोत्या देवी के पक्ष मे जारी नही करने बाबत पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति मे सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार जब मोत्या देवी को उक्त भूमि का पटटा अपने पक्ष में जारी करवाने का अधिकार सिविल न्यायालय द्वारा नही दिया गया है, तो प्रसन्नता देवी को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा विधिसम्मत नही होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2023 को लिखवाया जाकर सुनाया न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner